विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करने की सरलीकृत प्रकिया

नये विद्युत कनेक्शन (निम्नदाब, उच्चदाब और अति उच्चदाब) लेने हेतु आवेदक संबंधित विद्युत कार्यालय में जाकर अथवा सीएसपीडीसीएल की वेबसाइट www.cspdcl.co.in पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकता है।

विभिन्न प्रयोजनों हेतु आवेदन के साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:–

1. **घरेलू/बी.पी.एल.प्रयोजन हेतु –**

   i. आवेदक का पहचान संबंधी फोटो युक्त परिचय पत्र यथा – आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रांयविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, वोटर आई.डी.कार्ड, पेन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटो युक्त; पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई एक।

   ii. परिसर स्वामित्व हेतु दस्तावेज/किराये के परिसर में कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर परिसर स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र

2. **गैर घरेलू प्रयोजन हेतु–**

   i. आवेदक का पहचान संबंधी फोटो युक्त परिचय पत्र यथा आवेदक का पहचान संबंधी फोटो युक्त परिचय पत्र यथा - आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रांयविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, वोटर आई.डी. कार्ड, पेन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटो युक्त; पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई एक।

   ii. परिसर स्वामित्व हेतु दस्तावेज/किराये के परिसर में कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर परिसर स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

3. **कृषि/कृषि एलाईड प्रयोजन हेतु–**

   i. परिसर स्वामित्व हेतु दस्तावेज यथा – नवीनतम खसरा ।

   ii. आवेदक का पहचान संबंधी फोटो युक्त परिचय पत्र यथा – आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रांयविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, वोटर आई.डी.कार्ड, पेन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटो युक्त; पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई एक।

4. **औद्योगिक प्रयोजन हेतु –**

   i. परिसर स्वामित्व/आधिपत्य हेतु दस्तावेज

   ii. भागीदारी फर्म/कंपनी इत्यादि की दशा में प्राधिकार पत्र और स्वयं की फर्म की दशा में फाटो युक्त परिचय पत्र यथा – आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रांयविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, वोटर आई.डी.कार्ड, पेन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटो युक्त; पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई एक।

5. सार्वजनिक प्रयोजन हेतु–

i. आवेदन सह अनुबंध पत्र के अतिरिक्त कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं ।

ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया निम्नानुसार हैः–

आवेदक उपरोक्तानुसार दस्तावेजों के साथ आवेदन सीएसपीडीसीएल की वेबसाईट www.cspdcl.co.in से कर सकता है, जिसके लिए आवेदक को निम्न प्रक्रिया अपनानी होगीः–

i. आवेदक वितरण कंपनी की वेबसाईट www.cspdcl.co.in पर उपलब्ध "Online New Connection" लिंक की सहायता से अपना यूजर–एकाऊंट बनाएँ ।

ii. आवेदक निर्मित यूजर एकाऊंट में लॉगीन कर नये विद्युत कनेक्शन का आवेदन ऑन लाईन भरें व उपरोक्तानुसार दस्तावेजों की स्कैन–कॉपी अपलोड करें ।

iii. यदि स्कैन कॉपी अपलोड नहीं की जाती है, तो आवेदक को 7 दिन के अंदर दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रति संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

iv. ऑनलाईन आवेदन में उपलब्ध "Submit" बटन क्लिक करें। आवेदक का आवेदन स्वतः संबंधित विद्युत कार्यालय में जमा हो जायेगा और उन्हें संदर्भ हेतु अस्थायी पंजीयन संख्या प्राप्त हो जावेगी।

टीप :– 1. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ स्कैन कॉपी अपलोड करने पर आवेदक को कनेक्शन देते समय आवेदन सह अनुबंध पत्र की मूल प्रति और वांछित दस्तावेजों की स्व–सत्यायपित प्रति वितरण कंपनी के संबंधित कर्मचारी को देनी होगी।

2. विस्तार कार्य की आवश्यकता वाले विद्युत कनेक्शनों के ऑनलाइन आवेदकों को आवेदन सह अनुबंध पत्र की मूल प्रति और वांछित दस्तावेजों की स्व–सत्यायपित प्रति मॉग पत्र की राशि के भुगतान के पश्चात् अथवा भुगतान के समय संबंधित वितरण कंपनी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

ऑफलाइन आवेदन की प्रकिया :–

आवेदक सीएसपीडीसीएल के संबंधित कार्यालय में जाकर उपरोक्त दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रति के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसकी पावति प्राप्त कर सकता है। निम्न दाब के सभी आवेदन संबंधित जोन/वितरण केन्द्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उच्च दाब और अति उच्च दाब के सभी आवेदन वितरण कंपनी के संबंधित संभागीय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।